मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः **28.03.2025**

थाना चिल्ह, एसओजी,सर्विलांस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा 240 बोतल अवैध अंग्रेजी के साथ 05 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में प्रयुक्त 02 अदद चार पहिया वाहन बरामद (कुल कीमत 27 लाख रूपये)-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना चिल्ह पुलिस, एसओजी/सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर-नितेश सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर-अमर बहादुर के नेतृत्व में दिनांकः 27.03.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना चिल्ह, एसओजी, सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना चिल्ह क्षेत्रांतर्गत ग्राम टेढ़वा के पास सघन चेकिंग कर स्वीफ्ट कार अंकित वाहन संख्याः BR 04 AR 0737 व डिजायर कार वाहन संख्या BR 01 PR 0211 सवार 05 अभियुक्तगण 1. धीरज कुमार पुत्र चन्द्रशेखर राय 2. राजकुमार पुत्र टुन्नु राय, 3. पंकज कुमार पुत्र अशोक राय, 4. वरूण कुमार सिंह पुत्र सुरेश सिंह, बिहार व 5. प्रिंस राज पुत्र राजेन्द्र चौबे को गिरफ्तार किया गया। बरामद वाहन की तलाशी ली गयी तो उपरोक्त दोनों वाहनों में लदी हुई कुल 240 बोतल (180 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिल्ह पर मु0अ0स0- 66/2025 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है। शराब तस्करी में प्रयुक्त उक्त दोनों वाहनों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अंग्रेजी शराब को हरियाणा से कम दाम में खरीद कर बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बिक्री कर देते है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दोनों वाहनों में छिपाकर ले जा रहे शराब को आप लोग द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. धीरज कुमार पुत्र चन्द्रशेखर राय निवासी दाउतपुर थाना शाहपुर जनपद पटना, बिहार, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. राजकुमार पुत्र टुन्नु राय निवासी गौरैया स्थाना थाना मनेर जनपद पटना, बिहार, उम्र करीब 26 वर्ष।
3. पंकज कुमार पुत्र अशोक राय निवासी हरशाम चक थाना अकिलपुर जनपद पटना, बिहार, उम्र करीब 24 वर्ष।
4. वरूण कुमार सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी गोलारोड़ थाना रूपसपुर जनपद पटना, बिहार, उम्र करीब 26 वर्ष।
5. प्रिंस राज पुत्र राजेन्द्र चौबे निवासी बैंक कालोनी थाना एअरपोर्ट जनपद पटना, बिहार, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

कुल 240 बोतल (180 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत 07 लाख रूपये)

(203 बोतल-रेड लेबल, 25 बोतल- रायल स्टेग, 04 बोतल-हण्ड्रेड पाइपर व 08 बोतल-बैलेनटाइन्स)

स्वीफ्ट कार अंकित वाहन संख्याः BR 04 AR 0737 व डिजायर कार वाहन संख्या BR 01 PR 0211 (अनुमानित कीमत 20 लाख रू0)

पंजीकृत अभियोग —

मु.अ.स. 66/2025 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक व समय–

थाना चिल्ह क्षेत्रांतर्गत ग्राम टेढ़वा के पास से दिनांक 27.03.2025 को रात्रि 00.19 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक विजय शंकर सिंह मय पुलिस टीम थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एस.ओ.जी. मय पुलिस टीम।

उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।

आबकारी निरीक्षक अखिलेश चन्द्र द्विवेदी मय आबकारी टीम।